

DHRUVA नीति

स्रोत: पीआईबी

डाक विभाग ने DHRUVA (डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एवं यूनिक वर्चुअल एड्रेस) नीति की शुरुआत की है, जो एक भौगोलिक कोडयुक्त डिजिटल पता प्रणाली है, जिसका उद्देश्य भारत में शासन, लॉजिस्टिक्स और सेवा वितरण में क्रांतिकारी बदलाव लाना है।

DHRUVA नीति

- **परिचय:** यह एक अग्रणी **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)** पहल है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में पते की संरचना और प्रबंधन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है, जिसके तहत प्रत्येक घर को एक विशिष्ट डिजिटल पता प्रदान किया जाएगा।
 - **एड्रेस-एज-ए-सर्विस (AaaS)** मॉडल पर आधारित यह प्रणाली भौगोलिक कोडयुक्त पते की जानकारी को सुरक्षा और सहमत-आधारित तरीके से साझा करने की सुविधा देती है तथा वह भी एक सुगम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से।
 - यह पूरी तरह से भारत में वकिसति की गई है, जो स्वदेशी तकनीक और घरेलू नवाचार को बढ़ावा देती है।
- **उद्देश्य:** यह **ई-कॉमर्स**, डाक और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में डिलीवरी लागत को कम कर सकता है तथा साथ ही टेलीकॉम, ब्रॉडबैंड एवं शहरी शासन में संसाधन योजना को बेहतर बना सकता है।
- **लेयर (Layers):** यह प्रणाली दो प्रमुख लेयर से बनी है:
 - **डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर (DIGIPIN):** **DIGIPIN** एक 10-अंकीय अल्फान्यूमेरिक कोड है, जो सटीक भौगोलिक स्थान (अक्षांश-देशांतर) को दर्शाता है। इसे पूरे भारत में 4x4 मीटर ग्रिड्स के आधार पर तैयार किया गया है।
 - यह प्रत्येक स्थान को भू-स्थानिक डेटा के माध्यम से एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है।
 - **डिजिटल एड्रेस लेयर (Digital Address Layer):** यह एक उपयोगकर्ता-अनुकूल और सहमत-आधारित प्रणाली है, जो DIGIPIN पर आधारित है। इसमें उपयोगकर्ता अपने DIGIPIN से जुड़े कस्टम लेबल और वर्णनात्मक पते (जैसे घर नंबर, सड़क का नाम आदि) बना सकते हैं।

और पढ़ें: [डाकघर अधिनियम 2023](#)